कृषि निदेशालय, बिहार

पत्र संख्या :– 9 / उपा0कीट0विविध–17 / 2013 / कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक (पौ0सं0), बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)
सभी उप निदेशक (पौ0 सं0)।
जिला कृषि पदाधिकारी, (सभी)।

विषय :– राज्य स्तरीय / प्रमण्डल स्तरीय / जिला स्तरीय कीटनाशी विनिर्माण / विपणन हेतु नई अनुज्ञप्ति / अनुज्ञप्ति नवीकरण / अनुमति / पेस्ट कन्ट्रोल नई अनुज्ञप्ति / पेस्ट कन्ट्रोल हेतु अनुज्ञप्ति नवीकरण का समय–सीमा एवं चेकलिस्ट के अनुरूप अनुज्ञप्ति निर्गत करने का सामान्य निदेश संसूचित करने के संबध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कीटनाशी अनुज्ञप्ति निर्गत करने की प्रक्रिया में अक्सर विलम्ब होता है जिसके कारण निदेशालय स्तर पर शिकायतें प्राप्त होती है अनेक कीटनाशी अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में चेकलिस्ट अप्राप्त रहने के कारण अनुज्ञप्ति निर्गत करने में समय–सीमा का पालन नहीं किया जाता है, फलतः कीटनाशी–बिक्रेता मात्र चालान पास कराकर कीटनाशी का कारोबार करते है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक–619 दिनांक 08.02.2014 द्वारा निर्गत अनुदेश एवं चेक लिस्ट में संयुक्त कृषि निदेशक (पौ0सं0) बिहार, पटना के पत्रांक–345 दिनांक 10.03.2014 द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में सुधार करते हुये राज्य स्तरीय / प्रमंडल स्तरीय एवं जिला स्तरीय अनुज्ञापन पदाधिकारियों के लिए चेक–लिस्ट एवं समय–सीमा का निर्धारण किया जाता है तथा निदेश दिया जाता है कि विहित किये गये प्रावधान का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए कीटनाशी अनुज्ञप्ति का निष्पादन किया जाय।

इसे दृढ़ता से पालन किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : **दिनांक :–**

प्रतिलिपिः– संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना / सहायक निदेशक (सा0) –सह–प्रभारी कीटनाशी अनुज्ञप्ति, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–9 / सभी सहायक प्रशाखा–9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 317 **दिनांक :–** 15-01-2015

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को सभी पदाधिकारियों को ई–मेल से भेजने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/01/15

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

C:\Users\Dell\Desktop\Pesticide Guidelines\Pesticide letter 2014-15.doc

कृषि विभाग, बिहार सरकार

विभिन्न स्तरों पर कीटनाशी नयी अनुज्ञप्ति / नवीकरण निर्गत करने हेतु चेकलिस्ट व समय–सीमा संबंधी सामान्य अनुदेश

कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 की धारा 12 के प्रावधान के आलोक में कृषि विभाग, बिहार, सरकार के द्वारा अधिसूचना सं0 12262 दिनांक 07.11.1987 के माध्यम से कीटनाशी विनिर्माण, व्यवसाय, भण्डारण, प्रदर्शन एवं वितरण हेतु विभिन्न स्तरों के लिए कीटनाशी अनुज्ञापन पदाधिकारी घोषित किये गये हैं। समीक्षा में यह पाया गया है कि कीटनाशी विनिर्माण, विक्रय, भंडारण, प्रर्दशन एवं वितरण हेतु नये अनुज्ञप्ति / नवीकरण के लिए प्रायः आवेदन में संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों के अभाव में अनुज्ञापन पदाधिकारी के स्तर पर विलम्ब होने की संभावना रहती है। कीटनाशी अनुज्ञप्ति के त्वरित निष्पादन हेतु विभिन्न स्तरों के अनुज्ञापन पदाधिकारियों के लिए निम्नांकित अनुदेश विहित किया जाता है।

1.0 राज्य स्तरीय अनुज्ञप्ति :

1.1 **कीटनाशी विनिर्माण हेतु अनुज्ञप्ति** :—राज्य में कीटनाशी विनिर्माण हेतु नयी अनुज्ञप्ति तथा इसके नवीकरण हेतु ज्ञापांक 7424 दिनांक 16.09.1996 के द्वारा कृषि निदेशक, बिहार प्राधिकृत हैं। कीटनाशी विनिर्माण के लिए नयी अनुज्ञप्ति के लिए कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 का नियम–9 के अधीन फार्म–III विहित किया गया है तथा नवीकरण के लिए फार्म– IV विहित किया गया है। इसके लिए क्रमशः विहित फार्म में सूचनाओं सहित प्रतिष्ठानों से अनुसूची–1 (क) / (ख) के चेकलिस्ट के अनुसार अनुलग्नक के रूप में अभिलेख प्राप्त किया जायगा। अनुज्ञप्ति के त्वरित निष्पादन के लिए अभिलेखों की जॉच, स्थल जॉच के लिए संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों के लिए अनुसूची–2 के अनुसार समय–सीमा निर्धारित की जाती है। निर्धारित समय–सीमा में कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 का नियम 9(3) के अनुसार फार्म–V में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

1.2 **कीटनाशी विक्रय / भंडारण / प्रदर्शन / वितरण हेतु अनुज्ञप्ति** :— राज्य से बाहर के कीटनाशी विनिर्माता कम्पनियों को बिहार में कीटनाशी व्यवसाय हेतु विभागीय पत्रांक–7424 दिनांक 16.06.1996 की कंडिका–3 के द्वारा विक्रय / भंडारण / प्रदर्शन / वितरण के लिए नयी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा किसी अन्य कम्पनी के साथ वाणिज्यिक समझौता से व्यापार करने के पूर्व कृषि निदेशक, बिहार से अनुमति लेना अनिवार्य है। राज्य में कीटनाशी व्यापार हेतु अनुमति लेने संबंधी आवेदन पत्र के साथ विनिर्माण अनुज्ञप्ति, सी0आई0बी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति, वाणिज्यिक अनुबंध का एकरारनामा प्रति के साथ अनुलग्न करना अनिवार्य किया गया है।

राज्य से बाहर के कीटनाशी विनिर्माता कम्पनियों को कृषि निदेशक, बिहार के द्वारा व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 नियम 10(1) के अनुसार नये अनुज्ञप्ति के लिए फार्म– VI में तथा नवीकरण के लिए फार्म– VII के आवेदन पत्र में सम्पूर्ण सूचनाओं के साथ क्रमशः अनुसूची–3(क) / (ख) के चेकलिस्ट के अनुसार अनुलग्नक के रूप में अभिलेख प्राप्त किया जायगा। व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति के त्वरित निष्पादन के लिए अभिलेखों की जॉच, स्थल जॉच आदि कार्य के लिए संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों के द्वारा अनुसूची–4 के अनुसार समय–सीमा निर्धारित की जाती है। निर्धारित समय–सीमा में

कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 का नियम 9(3) के अनुसार फार्म–VIII में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

1.3 **कॉमर्शियल पेस्ट कन्ट्रोल के लिए अनुज्ञप्ति** :–राज्य में प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग कर कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठानों से कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली का नियम 10(3A) के अनुसार विहित प्रपत्र फार्म–VIA में नये अनुज्ञप्ति के लिए तथा फार्म– VI B में नवीकरण के लिए सभी सूचनाओं सहित आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। अनुज्ञप्ति हेतु विहित आवेदन पत्र के साथ अनुसूची–5(क)/(ख) के चेकलिस्ट अनुसार अभिलेख प्राप्त किये जायेंगे। पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु समय–सीमा अनुसूची–4 के अनुसार ही रहेगा। कॉमर्शियल पेस्ट कन्ट्रोल ऑपरेशन के लिए फार्म–VI C के अनुसार अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

1.4 **घरेलू कीटनाशी व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति** :– घरेलू कीटनाशी के वाणिज्यिक व्यापार के लिए प्रक्रिया कंडिका 1.2 में विहित के गये मानदण्ड के अनुसार निष्पादित किये जायेंगे।

1.5 **कीटनाशी अनुज्ञप्ति में व्यवसाय हेतु अतिरिक्त कीटनाशी के जोड़ने की प्रक्रिया(इंडोर्समेन्ट) :– कीटनाशी** अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 का नियम 10(4)(iii) के आलोक में इंडोर्समेन्ट के आवेदन के साथ अनुसूची–6 के चेकलिस्ट के अनुसार प्राप्त किये जायेंगे तथा इंडोर्समेन्ट के कार्रवाई हेतु समय–सीमा का निर्धारण अनुसूची–7 के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

2.0 **क्षेत्रीय स्तर पर विक्रय/भंडारण/प्रदर्शन/वितरण हेतु अनुज्ञप्ति** :–

2.1 **संयुक्त कृषि निदेशक (पौ0 सं0) बिहार, पटना** :– विभागीय अधिसूचना सं0 12262 दिनांक 07.11.1987 के द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक (पौ0 सं0) बिहार, पटना को राज्य में एक से अधिक प्रमंडलों में कीटनाशी विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन एवं वितरण के लिए कीटनाशी अनुज्ञप्ति देने हेतु प्राधिकृत किया गया है। कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के प्रावधान के अनुरूप स्थानीय विक्रेताओं/प्रतिष्ठानों से नया आवेदन फार्म–VI में एवं नवीकरण का आवेदन फार्म–VII में प्राप्त किया जायेगा। आवेदन पत्र में सभी सूचनाओं के साथ क्रमशः अनुसूची–8(क)/(ख) की चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेखों को प्राप्त किया जायेगा। पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु समय–सीमा अनुसूची–9 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। निर्धारित समय–सीमा में कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के नियम 9(3) के अनुसार फार्म–VIII में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

2.2 **प्रमंडलीय उप कृषि निदेशक (पौ0 सं0)**:– विभागीय अधिसूचना सं0 12262 दिनांक 07.11.1987 के आलोक में प्रमंडलीय उप कृषि निदेशक, (पौधा संरक्षण) को उनके क्षेत्राधिकार के पूरे प्रमंडल के जिलों में कीटनाशी विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन एवं वितरण के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी। कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 का प्रावधान के अनुरूप स्थानीय विक्रेताओं/प्रतिष्ठानों से नया आवेदन फार्म–VI में एवं नवीकरण का आवेदन फार्म–VII में प्राप्त किया जायेगा। आवेदन पत्र में सभी सूचनाओं के साथ क्रमशः अनुसूची–8(क)/(ख) की चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेखों को प्राप्त किया जायेगा। पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु समय–सीमा अनुसूची–9 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। निर्धारित समय–सीमा में कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 का नियम 9(3) के अनुसार फार्म–VIII में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

2.3 **जिला स्तरीय कीटनाशी अनुज्ञप्ति** :– विभागीय अधिसूचना सं0 12262 दिनांक 07.11.1987 के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार के जिला में कीटनाशी विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन एवं वितरण के लिए अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी। कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के प्रावधान के अनुरूप स्थानीय विक्रेताओं/प्रतिष्ठानों से नया आवेदन फार्म–VI में एवं नवीकरण का आवेदन फार्म–VII में प्राप्त किया जायेगा। आवेदन पत्र में सभी सूचनाओं के साथ क्रमशः अनुसूची–8(क)/(ख) की चेक लिस्ट के अनुसार अभिलेखों को प्राप्त किया जायेगा। पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु समय–सीमा अनुसूची–9 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। निर्धारित समय–सीमा में कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम 9(3) के अनुसार फार्म–VIII में अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।
दूरभाष–सं0–0612–2215895
फैक्स–नं0–0612–2204245